

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
प्रशासन (पी एंड टी) अनुभाग

'ए' विंग, 7वां तल
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- 7 मई, 2025

कार्यालय आदेश

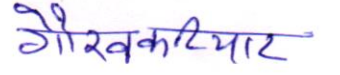
डॉ. वी. आर. सिरसाठ, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, एमएसएमई-विकास कार्यालय, नागपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक एमएसएमई-विकास कार्यालय, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है तथा उन्हें, एमएसएमई-विकास कार्यालय, नागपुर तथा एमएसएमई-विकास कार्यालय, रायपुर के कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

2. वह इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.01.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) को जारी कार्यालय आदेश संख्या ए60011/16/2018-ए(पी एंड टी) (एमएफ)-भाग-1 के अनुसार एमएसएमई-विकास कार्यालय, रायपुर के संबंध में सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. उपर्युक्त अतिरिक्त प्रभार/जिम्मेदारियों के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक अनुमत नहीं होगा।

4. इसे अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि



(गौरव कटियार)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

दूरभाष. नंबर:- 011-23061461

ई-मेल:- estt-hqrs@dcmsme.gov.in

सेवा में,

डॉ.वी.आर सिरसाठ

संयुक्त निदेशक (आईईडीएस)

एमएसएमई-विकास कार्यालय, नागपुर

प्रति:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय (एमएसएमई), मुंबई;
2. एमएसएमई-विकास कार्यालय, नागपुर और एमएसएमई-विकास कार्यालय, रायपुर;
3. श्री वी.आर.सिरसाठ, संयुक्त निदेशक (आईईडीएस) की व्यक्तिगत फाइल/सेवा पंजिका एमएसएमई-विकास कार्यालय नागपुर;
4. गार्ड फाइल/कार्यालय आदेश फोल्डर.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के प्रधान निजी सचिव;
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के उप-महानिदेशक/अपर विकास आयुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक;
3. सतर्कता/आईईडीएस प्रकोष्ठ/एमएसएमई-विकास कार्यालय /आरटीआई/बजट और लेखा अनुभाग, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय;
4. सीनेट प्रभाग-उपर्युक्त को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

फा.सं. ए 60011/16/2018-ए (पी एंड टी) (एमएफ)-भाग-1

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
प्रशासन (पी एंड टी) अनुभाग

.....

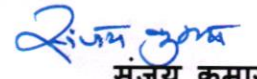
निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक:- 12 जनवरी, 2024

परिपत्र

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कैंडर नियंत्रण प्राधिकारी, एमएसएमई-डीएफओ के लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, समूह 'ग' कर्मचारियों के संबंध में प्रमुख नीति और जनशक्ति से संबंधित मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र के तहत डीएफओ के कार्यालय प्रमुख की अनुपस्थिति में दोनों शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं।

2. इस संबंध में, सभी लिंक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे समूह 'ग' कर्मचारियों के संबंध में कोई भी प्रमुख नीति और जनशक्ति से संबंधित निर्णय न लें तथा केवल आकस्मिक स्थिति में ही विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अनुमोदन से किया जाए।

इसे अवर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


संजय कुमार
उपनिदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

सभी कैंडर नियंत्रण प्राधिकारी/एमएसएमई-डीएफओ

प्रतिलिपि:-

1. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) के प्रधान निजी सचिव;
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अपर विकास आयुक्त (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के वैयक्तिक सहायक;
3. सीनेट प्रभाग-उपर्युक्त को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
4. गार्ड फाइल/कार्यालय आदेश फोल्डर